सूचना और प्रसारण मंत्रालय मांग संख्या 59

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

क. वसुलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

				ৰজ ट 2008-200 9		संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
			मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	न जोड़	आयोजना	आयोजना-भि	न्न जोड़	आयोजना	आयोजना-भि	न्न जोड़
	-	राजस्व		287.67	1210.00	1497.67	277.06	1425.00	1702.06	351.99	1768.00	2119.99
		<i>पूंजी</i> जोड़		412.33		412.33	322.94		322.94	448.01		448.01
		जोड़		700.00	1210.00	1910.00	600.00	1425.00	2025.00	800.00	1768.00	2568.00
1.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		2251	11.57	21.35	32.92	10.08	29.08	39.16	13.50	39.49	52.99
सूचना और प्रचार												
2.	फिल्में		2220	38.00	46.85	84.85	35.69	54.56	90.25	31.57	64.60	96.17
3.	चलचित्रण फिल्मों का											
	प्रमाणन		2205	1.42	3.24	4.66	0.55	4.81	5.36	1.35	5.80	7.15
4.	जन संचार में अनुसंधान											
	और प्रशिक्षण		2220	2.00	5.23	7.23	0.24	6.43	6.67	1.88	7.00	8.88
5.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार		2220	21.76	52.60	74.36	48.18	53.31	101.49	26.88	64.87	91.75
6.	प्रेस सूचना सेवा		2220	10.91	24.94	35.85	10.91	32.72	43.63	19.03	37.66	56.69
7.	क्षेत्रीय प्रचार		2220	0.49	26.25	26.74	0.49	33.14	33.63	0.49	41.27	41.76
8.	संगीत और नाटक प्रभाग		2220	3.56	15.54	19.10	3.56	19.39	22.95	4.00	20.02	24.02
9.	प्रकाशन		2220	0.49	42.24	42.73	0.49	45.43	45.92	0.24	52.73	52.97
10.	इमारतें और मशीनरी		4220	26.93		26.93	21.66		21.66	41.12		41.12
11.	इलेक्ट्रोनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र		2220		3.00	3.00		3.00	3.00		4.80	4.80
12.			2220	0.75	5.11	5.86	0.70	5.99	6.69	0.87	7.60	8.47
13.			2221	178.76	963.65	1142.41	132.57	1137.14	1269.71	213.21	1422.16	1635.37
14.												
	14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकार	न निगम	4220	8.00		8.00	0.01		0.01	0.01		0.01
	14.02 प्रसार भारती		6221	326.40		326.40	261.66		261.66	355.84		355.84
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के											
	विकास की परियोजनाओं/योज	ानाओं	2552	17.96		17.96	33.60		33.60	38.97		38.97
	के लिए एकमुश्त प्रावधान		4552							0.09		0.09
			6552	51.00		51.00	39.61		39.61	50.95		50.95
			जोड़	68.96		68.96	73.21		73.21	90.01		90.01
कुल	र जोड़			700.00	1210.00	1910.00	600.00	1425.00	2025.00	800.00	1768.00	2568.00
रव.	सरकारी उद्यमों में निवेश		विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
a.	WANT OWN THAT		शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
14.0	01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	Т	22220	8.00		8.00	0.01		0.01	0.01		0.01
14.0	14.02. प्रसार भारती		22221	326.40		326.40	261.66		261.66	355.84		355.84
जोड़	जोड़			334.40		334.40	261.67		261.67	355.85		355.85
ग.	12 11 11 11 11 11 11 11 11											
1.	सूचना और प्रचार		22220	125.88		125.88	132.56		132.56	140.94		140.94
2.	प्रसारण		22221	505.16		505.16	394.23		394.23	569.05		569.05
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		22552	68.96		68.96	73.21		73.21	90.01		90.01
जोड़			700.00		700.00	600.00		600.00	800.00		800.00	

व्यवस्था है जिसमें प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास शामिल हैं।

सूचना तथा प्रचारः

2. फिल्में: इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात् (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघु चलचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है, (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय संबंधी व्यय, (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा फिल्म महोत्सवों में पेनोरमा आफ इंडियन फिल्मों पर व्यय, (ङ) सिरीफोर्ट, नई दिल्ली में फिल्महोत्सव काम्पलेक्स का परिवर्धन और परिवर्तन, (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित रखता है, (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान जो बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करती है, (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय के लिए को अनुदान जो फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देता है, और (झ) सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता को अनुदान।

- 3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणनः इसके अन्तर्गत (i) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था
- 4. जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षणः इस शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जन संचार माध्यम में प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, और (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग, जो मंत्रालय और उसके मीडिया एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा मीडिया एजेंसियों के लिए मीडिया के हित में महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है।

सं.59/सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- 5. विज्ञापन तथा दृश्य प्रचारः इसके अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है।
- 6. प्रेस सूचना सेवाएं: इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है, (क) प्रेस सूचना ब्यूरो संबंधी व्यय, जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है (ख) भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान, जो एक सांविधिक संगठन है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था।
- 7. क्षेत्रीय प्रचारः इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के खर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सीधे प्रसारित मीडिया कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है।
- 8. संगीत तथा नाटक प्रभागः इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सीधे प्रसारित/प्रदर्शित मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है।
- 9. प्रकाशनः इसके अन्तर्गत मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के खर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूल्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है। प्रकाशन प्रभाग, अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में साप्ताहिक "रोजगार समाचार" भी निकालता है।
- 10. भवन और मशीनरीः इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है (क) फिल्म डिवीजन मुम्बई के लिए

- बहुमंजली इमारत के निर्माण, (ख) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय की इमारत, चरण-II (ग)फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा सिरीफोर्ट काम्पलेक्स, दिल्ली में परिवर्धन एवम् परिवर्तन (घ) भारतीय जन संचार संस्थान की निर्माण एवं आवास परियोजना (ङ) प्रैस सूचना ब्यूरो के मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना तथा फिल्म प्रभाग, तथा सीबीएफसी, पी.आई.बी.,डी एफ पी. एफ टी आई आई पुणे, फोटो प्रभाग, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली इलेक्ट्रोनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र और संगीत और नाटक प्रभाग के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों की अधिप्राप्ति।
- 11. **इलेक्ट्रोनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र** : इसके अंतर्गत कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनलों/रेडियो की मानीटरिंग के लिए प्रावधान हैं।
- 12. अन्य व्ययः इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रिजस्ट्रार के व्यय हेतु प्रावधान और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा एशियन इंस्टीटयूट आफ ब्राडकास्टिंग डेवलमेंट के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है।
- 13. प्रसार भारती को सहायता अनुदान प्रसार भारती को अपने राजस्व व्यय हेतु संसाधनों में आए अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

14. सरकारी उद्यमों में निवेश :

- 14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगमः यह व्यवस्था मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को वित्तीय सहायता देने के लिए है ताकि उन्हें मनोरंजन मीडिया, फिल्मों के क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलाप करने में समर्थ बनाया जा सके।
- **14.02 प्रसार भारती:** प्रसार भारती को अपने पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए यह ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- 15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास हेतु बनी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए यह एक मुश्त प्रावधान किया गया है ।